राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट स्थल–अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सड़ा)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–36/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
चूनाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी भेलानी नाड़ी तहसील गुडामालानी व जिला बाड़मेर		.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–28.5.2018

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी द्वारा एक राजस्व वाद इस आशंय का प्रस्तुत किया गया,कि ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 530/1 रकबा 36 बीधा भूमि आवगी खातेदारी में आई हुई है। जो मेरे पिता हीराराम द्वारा मेरे नाम से क्रय की गई थी। लेकिल रजिस्ट्री टंकण में माननीय भूल से मेरा पिता हीराराम के स्थान पर आसुराम रजिस्ट्री में अंकन हो गया। और बेचानपत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी मेरे पिता का नाम आसुराम दायर हो गया। जो आदिनांक तक रिकार्ड में उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। जबकि मेरे पिता हीराराम की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम ढेलाणी नाड़ी तहसील गुड़ामालानी की खसरा संख्या 647 व 648 में सही नाम हीराराम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

दायर हो रखा है। अतः विवादित भूमि में दायर प्रविष्टि आसुराम के स्थान पर हीराराम दायर किया जावें।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। और वादग्रस्त भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा विवादित भूमि के संबध में तथ्यात्मक जांच रिर्पोट अनुशंसा सहित उपलब्ध करवाई गई।

3.वादी साक्ष्य में वादी स्वंय चूनाराम व वादी के चाचा तेजाराम,सोनाराम व स्वतंत्र गवाहान में गुलाबसिंह,डालूराम एवं मालाराम के बयान कलमबद्व किये गये।

4.हमनें उभयपक्ष को सुना और तहसीलदार सिणधरी की तथ्यात्मक जांच रिर्पोट, बयानात एवं राजस्व रिकार्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिणधरी ने अपनी समग्र जांच रिर्पोट में विवादित भूमि के अंकित वादी के पिता के नाम की प्रविष्टि आसु के स्थान पर हीराराम दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। वादी स्वंय के बयान व उसके पक्ष में गवाह चाचा तेजाराम,सोनाराम व स्वतंत्र गवाहान में गुलाबसिंह,डालूराम एवं मालाराम ने अपने अपने बयानों में स्वीकार किया है,कि विवादित भूमि में वादी के पिता का गलत नाम आसुराम दायर हो रखा है। क्योंकि उक्त भूमि वादी के पिता हीराराम द्वारा वादी के नाम जमीन क्रय की गई थी। जबकि वादी उस समय नाबालिग था और करीबन उम्र 2 वर्ष थी। और बेचानपत्र टंकण के समय माननीय भूल से हीरा के स्थान पर आसु नाम दायर हो गया। जो रिकार्ड में आदिनांक तक चला आ रहा है। जबकि वादी के पिता का सही नाम हीराराम है। और हीराराम के सगे भाई तेजाराम व सोनाराम ने अपने बयानों में स्वीकार किया है,कि वादी का पिता हीराराम हमारा सगा भाई है। और उसका वास्तविक नाम हीराराम ही है,लेकिन जमीन क्रय के समय माननीय भूल के कारण हीरा के स्थान पर आसु नाम का अंकन हो गया। एवं सभी गवाहान ने अपने बयानों में यह भी स्वीकार किया गया है,कि आसु एवं हीरा एक ही व्यक्ति है। अन्य कोई नहीं है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि वादी के पिता का सही नाम हीराराम है। एवं वादी के सलंग्न सरकारी दस्तावेज यथा–परिवार राशन कार्ड ,आधार कार्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1990 की अंक तालिका प्रति में वादी के पिता का नाम हीराराम नाम का अंकन है। एवं पत्रावली के सलंग्न जमाबंदी ग्राम ढेलानी नाड़ी तहसील गुड़ामालानी की खसरा संख्या 647 व 648 कुल रकबा 47–11 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी में सोना,तेजा के साथ वादी के पिता का नाम हीरा दर्ज है। इससे भी स्पष्ट है,कि वादी के पिता का सही नाम हीराराम है। मजमें आम में भी पुछताछ करने पर पाया

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

कि वादी के पिता का वास्तविक नाम हीराराम है। एवं तहसीलदार सिणधरी नें ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 530/1 में अंकित प्रविष्टि चूनाराम पुत्र आसुराम के स्थान पर चूनाराम पुत्र हीराराम नाम दर्ज करने की अनुशंसा की है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 530/1 रकबा 36 बीघा **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि चुनाराम पुत्र आसुराम के स्थान पर चुनाराम पुत्र आसुराम उर्फ हीराराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-5-18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)सिणधरी

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सड़ा

पीठासीन अधिकारीः—...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
चूनाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी भेलानी नाड़ी तहसील गुडामालानी व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः—88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :—36/2018

निर्णय दिनांक :—28.5.2018

वादी की ओर से स्वंय उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख. 28.5.2018 को श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, **आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है** कि:—वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सड़ा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 530/1 रकबा 36 बीघा **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि चुनाराम पुत्र आसुराम के स्थान पर चुनाराम पुत्र आसुराम उर्फ हीराराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

आज तारीख 28-5-18 .को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner